

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ क्र.२५ अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर-४९५००९ (छ.ग.)

दूरभाष : ०७७५२-२६००१७, फैक्स : ०७७५२-२६०१५४
ई-मेल : gg.v.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260017, Fax : 07752-260154

E-Mail : gg.v.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्र. 52/स्था/प्रशा/2013

बिलासपुर, दिनांक : 06.04.2013

॥ अधिसूचना ॥

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा पारित कार्य नीति के परिपेक्ष्य में पूर्व में गठित समिति के स्थान पर Gender Sensitising Committee का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

- ✓ 01. डॉ० प्रतिभा जे. मिश्रा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष-समाजकार्य विभाग - अध्यक्ष
02. डॉ० वी.डी. रंगारी, आचार्य-फार्मेसी विभाग - सदस्य
03. डॉ० अनुपमा सक्सेना, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष-राजनीति विभाग - सदस्य
04. डॉ० मनीष श्रीवास्तव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष-अंग्रेजी विभाग - सदस्य
05. डॉ० आई.डी. तिवारी, आचार्य-अंग्रेजी विभाग - सदस्य
06. डॉ० अल्पना राम, सह-आचार्य-फार्मेसी विभाग - सदस्य
07. डॉ० सीमा राय, सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र विभाग - सदस्य
08. डॉ० सोमा दास, सहायक प्राध्यापक-प्रौद्योगिकी संस्थान - सदस्य
09. एनजीओ प्रतिनिधि, डॉ० इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता - सदस्य
10. श्री अभिदीप तिवारी, सहायक कुलसचिव - सदस्य
11. श्रीमती ज्योति मोने, कक्ष अधिकारी - सदस्य
12. श्री राजेन्द्र सिंह पोते, एम.टी.एस.
13. छात्र प्रतिनिधि -
 1. कु० अल्का पाण्डेय, स्नातक छात्रा - सदस्य
 2. श्री रितेश कुमार, स्नातकोत्तर छात्र - सदस्य
 3. श्री रंजन सिंह, शोध छात्र - सदस्य

छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से 01 वर्ष तथा शेष समिति का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा। यह समिति कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित कार्यनीति के अधीन कार्य करेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक : 06.04.2013

पृ० क्र. 53/स्था/प्रशा/2013

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समिति के सम्माननीय अध्यक्ष/सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिष्ठाता-समस्त अध्ययनशाला/कुलानुशासक/अधिष्ठाता छात्रकल्याण/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/छात्रावास अधीक्षक (बालक/बालिका)/समस्त कक्ष अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अध्यक्ष विश्वविद्यालय छात्र परिषद की ओर सूचनार्थ।
5. मीडिया प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

950/MSW/311
118/decm/671
6/5/13

Head CSIT Please upload on website 